संख्या-5/2017/593/छ:ना0सु0-17-24सीडी/06

प्रेषक,

सुनील यादव,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2017**

विषय: नागरिक सुरक्षा में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डेनों को उनकी सेवाओं के मान्यता स्वरूप "उत्तर प्रदेश शासन प्रशस्ति-पत्र" दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2274/अनु-1/148/2016 दिनांक 19-07-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-493/छ:ना0सु0-17-24सीडी/06 दिनांक 11-07-2017 द्वारा गठित समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा निम्नलिखित स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने हेतु "उत्तर प्रदेश शासन प्रशस्ति-पत्र" प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	जनपद	स्वयंसेवक का नाम/पदनाम
1	इलाहाबाद	श्री रोहित केसरवानी, घटना नियंत्रण अधिकारी।
2	सहारनपुर	श्री राजेश कुमार जैन, चीफ वार्डेन।
3	मथुरा	श्री शशिकान्त अग्रवाल, पोस्ट वार्डेन।
4	मेरठ	श्री बृजेश कुमार सैनी, डिवीजनल वार्डेन।
5	गोरखपुर	श्री महमूद सईद, वरिष्ठ अवैतनिक स्टाफ आफिसर, (हताहत सेवा)।
6	लखनऊ	श्री सुधीर प्रताप भटनागर, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	आगरा	श्री बेताल सिंह, घटना नियंत्रण अधिकारी।
8	कानपुर	श्री अजय कुमार वर्मा, पोस्ट वार्डेन।
9	वाराणसी	श्री विमल त्रिपाठी, पोस्ट वार्डेन।
10	गाजियाबाद	श्री राजेन्द्र शर्मा, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन।
11	नरौरा (बुलन्दशहर)	श्री मनोहर सिंह, पोस्ट वार्डेन।
12	मुरादाबाद	श्री नवनीत किशोर जैन, पोस्ट वार्डेन।

2- कृपया उपरोक्त स्वयंसेवकों को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
2- सम्बन्धित उपनियंत्रक।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।